



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1428/Type Approval No. 1428

मद/ For Item : लीनियर फ्रीक्वेन्सी मॉड्युलेशन जनरेटर पार्ट सं. जीएस2-210-030/
Linear Frequency Modulation Generator Pt. No. GS2-210-030

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स कर्नाटका टेली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, 38 बुल टेंपल रोड, बसवनगुडी, बेंगलोर-560 004 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित, "लीनियर फ्रीक्वेन्सी मॉड्युलेशन जनरेटर" पार्ट जीएस2-210-030 को मिग-29 वायुयान में रेडार सं. 19 में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (नासिक) के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश सं. एमआईएल-एसटीडी-810ई, एमआईएल-एसटीडी-461/462 और क्यूटीपी सं. केटी-क्यूटीपी-339 इश्यू सं. 01 दिनांक 04 जनवरी 2003 के अनुसार परीक्षित किया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Linear Frequency Modulation Generator" (LFMG) bearing part No. GS2.210.030 has been designed, developed and manufactured by M/s. Karnataka Tele Electronics Pvt. Ltd. 38 Bull temple road, Basavanagudi, Bangalore - 560 004, is hereby approved for production for use on NO-19 Radar in MiG-29 Aircraft. The product has been tested as per Governing Specification No. MIL-STD-810E, MIL-STD-461/462, and QTP No. KT-QTP-339 Issue No.01 dt 04th Jan 2003 in co-ordination with RCMA (Nasik). The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन के जारी होने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अन्तिम निकासी भंग हो जाता है। इस उत्पाद के निर्माण के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या का उल्लेख सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में किया जाना चाहिये।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2014** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (नासिक)**, द्वारा एचएएल(नासिक प्रभाग), ओझार टाउनशिप - 422 207 के माध्यम से सेमिलाक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2014 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA(Nasik), C/o HAL Nasik division, Ojhar Township-422 007, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो या किसी भी चरण में उत्पादन प्रक्रिया/ मेटिरियल्स में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक)**, बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any to the SOP declared to the performance indicated and change in manufacturing process/materials at any stage within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और **डी.जी.ए.क्यू.ए.**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1428

दिनांक/Date : **22 June 2009**

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(**क. तमिलमणि/K.TAMILMANI**)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / वै 'एच' / Outstanding Scientist / Sc-'H'
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)


22/06/09